न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 06/2018

राजस्थान सरकार जरिये सुश्री साक्षी कस्बॉ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमचन्द पुत्र श्री मेहराम कुमावत
   निवासी –देवनगर रोड, बडी बस्ती, पुष्कर जिला–अजमेर

......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः 1.श्री नीरज जैन – प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार
2.श्री जिनेश सोनी – अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.2.2018 प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी देवनगर रोड, बडी बस्ती, पुष्कर स्थित निवास का निरीक्षण करने पर मौके पर 02 रिफिलिंग मशीन तथा अवैध रूप से भण्डारित 11 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। बिना किसी वैध दस्तावेज के इतनी बडी संख्या में घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण तथा रिफिलिंग मशीनों का पाया जाना साबित करता है कि अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से दुरूपयोग एवं रिफिलिंग का कार्य भी किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवेहलना है, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः 11 घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO	S.R.NO	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GA	TYPE
1	176013	HPC	15.6 kg	15.6kg	0..0 kg	Domest
2	906600	HPC	15.8 kg	15.8kg	0..0 kg	Domest
3	172541	HPC	16.6 kg	16.6kg	0..0 kg	Domest
4	853293	HPC	16.0 kg	16.0 kg	0.0 kg	Domest
5	385440	HPC	15.5 kg	15.5kg	0.0 kg	Domest
6	745158	HPC	16.2 kg	16.2kg	0.0 kg	Domest
7	74793	HPC	15.7 kg	15.7kg	.0 kg	Domest
8	534347	HPC	16.0kg	16.0kg	.0 kg	Domest
9	506368	HPC	15.9 kg	15.9kg	.0 kg	Domest
10	188437	HPC	15.3 kg	15.6kg	0.3 kg	Domest
11	815440	HPC	15.7 kg	15.7kg	.0 kg	Domest

एवं 2 रिफिलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर दिव्य दीप्ति एच.पी.सी.एल.गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 11 घरेलू

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma
जिला कलक्टर
अजमेर

गैस सिलेण्डर एवं दो रिफिलिंग मशीन को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही कर सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.2.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी के आवास पर अवैध रूप से 11 गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं दो रिफिलिग मशीनों का पाया जाना, अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य किया जाना साबित करता है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवेहलना है, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि जप्त सिलेण्डर, उनकी रिश्तेदार (छोटी साली) की शादी जो कि 18.03.2018 को होनी थी, के लिए पडौसियो एवं रिश्तेदारान से लेकर एकत्र किये गये थे। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः बिना साक्ष्य/जिरह के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जरिये जवाब ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के पेश नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थी के आवास से दो रिफिलिंग मशीनें एवं 11 गैस सिलेण्डर बरामद किये गये है जो घरेलू गैस का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य किया जाना साबित करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner